(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

सं. 27 /2018- सीमाशुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च, 2018

सा.का.नि. (अ).- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उपवाक्य (च) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 80/ 2010- सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 09.09.2010 जिसे सा.का.नि. 742 (अ) दिनांक 09.09.2010 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी अथवा ना की गयी बातों को छोड़कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, नीचे दिये गए सीमाशुल्क वायुपत्तनों को अतिरिक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनल्स के रूप मे नियुक्त करता है:-

क्रम संख्या	सीमाशुल्क वायुपत्तन
1.	मुंबई
2.	दिल्ली
3.	चेन्नई
4.	कोलकाता
5.	बेंगलुरु
6.	हैदराबाद
7.	अहमदाबाद
8.	जयपुर
9.	त्रिवेन्द्रम
10.	कोचीन
11.	कोइम्बटूर
12.	कालीकट
13.	तिरुचिरापल्ली

बशर्ते कि उपर्युक्त अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनलों के मामले में कूरियर आयात ओर निर्यात (इलेक्ट्रोनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियमावली, 2010 के विनियम (2) के उप- विनियम (1) उसी सीमा तक लागू होगा जिस सीमा तक आयातित और निर्यातित माल के क्लियरेंस की प्रक्रिया स्वचालित होती हो।

[फा. सं. 450/221/2016-सीमाशुल्क (IV)]

(जुबैर रियाज)
निदेशक (सीमा शुल्क)